उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विपिन सांघी
और
माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा

10 अप्रैल, 2023

रिट याचिका (एस0/बी0) संख्या 124 वर्ष 2023

बीच में:

श्रीमती निर्मला सिंह

..... अपीलार्थी

और

उत्तराखंड राज्य और अन्य

..... उत्तरदाता

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री हरि मोहन भाटिया।
उत्तरदाता संख्या 1 से 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता : विद्वान उप–महाधिवक्ता श्री के0एन0 जोशी, उत्तराखंड राज्य के लिए।

निर्णय : (श्री विपिन सांघी, सी.ज0)

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री हरि मोहन भाटिया ने वर्तमान रिट याचिका पर बल देने के निर्देश लिए हैं।

2. अपीलार्थी, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रांतीय खंड, देहरादून के रूप में सेवारत हैं, को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए प्रांतीय खंड, बागेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

3. मामले के ज्वलंत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने पिछले 30 से अधिक वर्षों से, अर्थात् उत्तराखंड राज्य के निर्माण से पहले भी, इस आधार पर सुलभ क्षेत्रों में लगातार सेवा की है कि उसके पति भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, और देहरादून में सेवा कर रहे हैं।

4. अपीलार्थी को उसके पूरे कैरियर में स्थानांतरित नहीं किए जाने के लिए उपरोक्त आधार, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 में नहीं पाया जाना है। इतने लंबे समय तक किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं करने का यह कारण नहीं हो सकता। दूसरे पति या पत्नी की नियुक्ति का स्थान, जो सरकारी विभाग में सेवारत हो सकता है, केवल विचार में लिया जा सकता है और यह आधार सरकारी कर्मचारी के पूरे कैरियर में उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कैडर के अन्य सभी कर्मचारियों की तरह स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। जब अपीलार्थी को बागेश्वर स्थानांतरित करने की मांग की गई, तो उसने अनुसूचित जाति आयोग, उत्तराखंड से संपर्क करके इसका विरोध किया, जिससे उक्त के

सम्बन्ध में रोक लगाने के आदेश पारित करने की मांग की, जबकि उक्त आयोग के पास ऐसा करने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं है।

5. हम उक्त आयोग को इस तरह के अन्तरिम आदेश पारित नहीं करने की चेतावनी देते हैं, जिसे करने की उसके पास कोई शक्ति नहीं है। यह आदेश भविष्य में अनुसूचित जाति आयोग, उत्तराखंड द्वारा सूचनार्थ और अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाए।

6. श्री भाटिया ने कथन किया कि अपीलार्थी के स्थानांतरण को गलत तरीके से निर्माण खंड, बागेश्वर के रूप में नामित किया गया था, जबकि बागेश्वर में ऐसा कोई निर्माण खंड नहीं है।

7. उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों दर्शाते हैं कि उक्त आदेश को दिनांक–16.03.2023 को ''प्रांतीय खंड, बागेश्वर'' के रूप में संशोधित किया जा चुका है।

8. इसलिए अपीलार्थी द्वारा लिया गया उपरोक्त अति–तकनीकी आधार शेष नहीं रहता है। न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि दिनांक–14.02.2023 को, अपीलार्थी को प्रांतीय खंड बागेश्वर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसे उसने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, जैसा कि रजिस्टर में दिनांक–15.02.2023 को किए गए पृष्ठांकन से स्पष्ट है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी देहरादून नहीं छोड़ने और जिस पद पर उसका तबादला हुआ है, उस पद पर आने पर आमादा है। यहां तक कि आज तक, उसने अपनी वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर रिपोर्ट नहीं किया है।

9. श्री भाटिया ने कथन किया कि उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी के मामले को उसके स्थानांतरण पर विचार करने के लिए स्थानांतरण समिति के समक्ष नहीं रखा गया था, जैसा कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(2)(सी) के अन्तर्गत आवश्यक है। उन्होंने कथन किया कि कदाचार, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और कार्य में रुचि की कमी आदि की गंभीर शिकायतों के कथित आधार पर अपीलार्थी को कोई अवसर देकर कोई जांच नहीं की गई है। धारा 18, जहां तक यह प्रासंगिक है, निम्नानुसार है–

> ''नियुक्ति/पदोन्नति और अन्य स्थानांतरण पर तैनाती की प्रक्रिया
>
> 18.वार्षिक/सामान्य स्थानांतरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य स्थानांतरण पर तैनाती की प्रक्रिया निम्नवत् होगी–
>
> (1) .....
>
> (2) .....
>
> (3) .....
>
> (4) कदाचार, उच्चाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और कार्य में रुचि न लेने आदि के आधार पर जांच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरांत, जहां सक्षम प्राधिकारी का

समाधान हो जाए, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आधार पर प्रेरित होकर अथवा आकस्मिक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानांतरण के आदेश पत्र में प्रशासनिक आधार अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

10. हमारे विचार में, ''जांच पर'' शब्द संबंधित कर्मचारी के आचरण में अनुशासनात्मक जांच पर विचार नहीं करता है। धारा 18 (4) में संदर्भित जांच एक ऐसी जांच है, जिसे विभाग स्थानांतरण के उद्देश्य से करता है, जिसमें कर्मचारी की भागीदारी आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है, और स्थानांतरण को प्रभावित करना नियोक्ता का काम है। आवश्यकता इस बात की है कि कदाचार, उच्चाधिकारियों के साथ र्दुव्यवहार और काम में रुचि की कमी आदि की गंभीर शिकायतों के आधार रिकॉर्ड का हिस्सा बनने चाहिए, जब प्रशासनिक आधार पर, उपरोक्त अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत स्थानांतरण किया जाता है। यदि उक्त प्रावधान का यह अर्थ निकाला जाता है कि प्रशासनिक आधार पर इस तरह के स्थानांतरण से पहले सम्पूर्ण जांच की जानी चाहिए, तो यह उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए उक्त प्रावधान अधिनियमित किया गया है, और इसका मतलब यह भी होगा कि संबंधित कर्मचारी को ऐसे पूर्ण रूप से बने रहना होगा, जब तक जांच पूरी हो जाए, जो वर्षों नहीं तो महीनों तक लंबी हो सकती है।

11. श्री के0 एन0 जोशी ने कथन किया कि उच्चाधिकारियों ने शिकायत की है कि अपीलार्थी उसे दी गई जिम्मेदारियों को नहीं ले रही है, और यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है कि उसे दिया गया काम अन्य अधिकारियों को सौंपा जा सकता है।

12. धारा 17(2)(सी) पर किया गया विश्वास गलत है, क्योंकि धारा 18(5) में ही प्रावधानित है कि प्रशासनिक स्थानांतरण के मामले में, मामले को स्थानांतरण समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में जिस अधिकारी की मंजूरी प्राप्त की गई है, जो सक्षम प्राधिकारी से एक रैंक ऊपर है।

13. इसलिए, हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं।

14. मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हम नियुक्ति के अपने स्थानांतरित स्थान पर शामिल नहीं होने में अपीलार्थी के कार्य को माफ करने के इच्छुक नहीं हैं, और उत्तरदाता अपीलार्थी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जैसा भी उचित हो।

15. परिणामस्वरूप, लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हों, का भी निस्तारण किया जाता है।

विपिन सांघी, सी.ज0

आलोक कुमार वर्मा, ज0

दिनांकः 10 अप्रैल, 2023
राहुल